न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

लखन पुत्र सूसरिया जाति गुर्जर आयु 58 साल निवासी रांडौली तहसील व जिला करौली (राज0) – अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार करौली तहसील व जिला करौली (राज0) – रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 26.06.2019 न्यायालय तहसीलदार करौली मुकदमा उनवानी सरकार बनाम लखन मुकदमा नम्बर 03/2019 जिसकी रूह से अपीलाण्ट को 30 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है के विरूद्ध धारा 75 एल.आर. एक्ट

निर्णय दिनांक 23.10.2019

यह अपील भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सैंगरपुरा के खसरा नं. 1627 किस्म चारागाह के रकबा 2–00 बीघा पर चांटी लगाकर व 0–02 बीघा पर मकान बनाकर कुल 2–02 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि करने पर तहसीलदार करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2019 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय दिनांक 26.06.2019 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली पूर्ण रूप से खिलाफे कानून, रूहेदाद मिसिल, पूर्णतया आरविट्रेरी, परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट, एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है और निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही दिन में सारी प्रक्रिया अपना कर जैर अपील निर्णय विधि विरूद्ध रूप से पारित किया है। दिनांक 26.06.2019 को अतिक्रमी सुरज्ञान, धर्मसिंह, बुद्धू, अमरसिंह, रौसी मुकदमा नंबर 6/19, 11/19, 9/19, 8/19, 7/19 में इसी नम्बर में खसरा नम्बर 1627 के इन अतिक्रमियों के विरूद्ध गलत रूप से धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही निरस्त की गयी है और अपीलाण्ट की पत्रावली में गलत रूप से 30 दिवस की सजा का आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। खसरा नम्बर 1627 काफी बडा रकबा है जिसमें ग्राम रांडौली की आबादी पचासों वर्ष पूर्व से ही बसी हुयी है। खसरा नम्बर 1627 की कोई पैमाईश पटवारी हल्का या तहसीलदार करौली द्वारा अपीलाण्ट के समक्ष नही की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का उचित व विधिवत अवसर प्रदान नही किया गया है और जैर अपील निर्णय एकपक्षीय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत किया गया है। अपीलाण्ट का चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1627 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण व कब्जा नही है पटवारी हल्का द्वारा राजनैतिक दबाव में द्वेषतापूर्वक गलत रिपोर्ट की गयी है ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का कथन किया है।

23/10/19
जिला कलक्टर
करौली

प्रतिनिधि प्रत्यर्थी ने बहस में कथन किया है कि ग्राम सैंगरपुरा के खसरा नं. 1627 किस्म चारागाह के रकबा 2–00 बीघा पर चांटी लगाकर व 0–02 बीघा पर व 0–02 बीघा पर मकान बनाकर कुल 2–02 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया था जिसकी अपीलार्थी स्वयं पर विधिवत् तामील होने के बावजूद ना तो अपीलार्थी उपस्थित हुआ और ना ही कोई जवाब पेश किया। इसलिये अपीलार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई जो विधिसम्मत् है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाने का कथन किया है।

तहसीलदार करौली से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार करौली ने पत्रांक–राजस्व/2019/740 दिनांक 15.10.2019 से मौका रिपोर्ट प्रेषित की जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा उक्त खसरा नं. में किये गये अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटा लिया गया है और वर्तमान में उक्त खसरा नं. में अपीलार्थी का कोई अतिक्रमण नहीं है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा खसरा नं. 1627 किस्म चारागाह के रकबा 2–00 बीघा पर चांटी लगवाकर व 0–02 बीघा पर मकान बनाकर कुल 2–02 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण की पुष्टि किये जाने पर तहसीलदार करौली द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया था जिसकी विधिवत् तामील होने के बावजूद अपीलार्थी वक्त सुनवाई उपस्थित नहीं हुआ था जिसके कारण अपीलार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत है। लेकिन तहसीलदार करौली से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा वर्तमान में स्वेच्छा से उक्त खसरा से अतिक्रमण हटा लिया गया है एवं वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.06.2019 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार करौली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

23/10/19

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली